न्यायालय अंचल अधिकारी देवरी, जिला–गिरिडीह।

प्रथम पक्षः लक्ष्मी देवी
पति–कृष्णबल्लभ सिंह
नुनु सिंह
पिता– बाबू सरदार सिंह
साकिन–गोरटोली, थाना–देवरी
जिला–गिरिडीह

बनाम

द्वितीय पक्षः करण सिंह
पिता– श्यामदेव सिंह
साकिन–गोरटोली, थाना–देवरी
जिला–गिरिडीह।

केश संख्या– 21/2020-21
केश का प्रकार– विविधवाद

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
	लक्ष्मी देवी पति–कृष्णबल्लभ सिंह, नुनु सिंह पिता–बाबू सरदार सिंह साकिन–गोरटोली थाना देवरी जिला गिरिडीह के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर मौजा–गोरटोली खाता नं0–13,50,62 कुल रकवा–9.44ए0, खाता नं0–10,12,14,128 रकवा क्रमशः–178डी0, 587डी0, 451डी0, 5.00ए0 जमीन मेरी दादी कुन्ता कुमारी एवं दादा सदहेव नारायण सिंह के नाम से है। उक्त भूमि पर करण सिंह के द्वारा बलपूर्वक जोत कोड़ कर रहे है। प्राप्त आवेदन पत्र पर हल्का राजस्व कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन की मॉग करें। इस संबंध में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 24.12.2020 को रखें। 11.12.2020 अंचल अधिकारी, देवरी।	नोटिस पाप्त जनक सिंह 11.12.20
24.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष लिखित अभिकथन साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करें। अभिलेख 7.01.2021 को रखें। 24.12.2020	
07.01.2021	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम एवं द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 21.01.2021 को रखें। अं० अधि० देवरी	

21-1-21

अभियोक्ता उपस्थापित किया गया। 33 बाबू सिंह के द्वारा उपस्थित किया गया है।

आदेश पर रखें।

[signature]
21.1.21

न्यायालय अंचल अधिकारी देवरी।

प्रथम पक्षः लक्ष्मी देवी
पति–कृष्णबल्लभ सिंह
नुनु सिंह
पिता–बाबू सरदार सिंह
साकिन–गोरटोली

बनाम

द्वितीय पक्षः करण सिंह
पिता– श्यामदेव सिंह
साकिन–गोरटोली

केश सं0– 21/2020–21
केश का प्रकार– विविधवाद

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित

लक्ष्मी देवी पति–कृष्णबल्लभ सिह तथा नुनु सिंह पिता–बाबू सरदार सिंह, साकिन–गोरटोली थाना–देवरी जिला–गिरिडीह के द्वारा एक आवेदन देकर मौजा–गोरटोली के खाता संख्या–13,50,62 कुल रकवा–9.44ए0 तथा 10,12,14 एवं 128 रकवा क्रमशः 1.78ए0, 5.87ए0, 4.51ए0 एवं 5.00ए0 भूमि पर करण सिंह के द्वारा बलपूर्वक जोत कोड करने का आरोप लगाया। लक्ष्मी देवी वगैरह ने दावा किया है कि यह भूमि मेरी दादी कुन्ता कुमारी एवं दादा सहदेव नारायण सिंह के नाम से है। प्राप्त आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक पक्ष वंशावली, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि यह मामला पारिवारिक विवाद तथा आपसी बँटवारा से संबंधित है। साक्षेदारी संबंधी विवाद के निपटारा में सक्षम न्यायालय के अधिकारिता में हस्तक्षेप का अधिकार प्रदत्त नहीं रहने की स्थिति में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.21
अंचल अधिकारी,
देवरी।

21.1.21
अंचल अधिकारी,
देवरी।